बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6ए0 / प्राक्क01–1187 / 2018 – 9696 पटना – 15 ,दिनांक :– 15/10/18

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय – राज्य योजना अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी में पूर्व से निर्मित दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में ''हर घर नल का जल निश्चय योजना'' के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य योजना अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी में पूर्व से निर्मित दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में ''हर घर नल का जल निश्चय योजना'' के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के तहत निम्न दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर इससे आच्छादित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतृप्त किया जाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	
							अंक में	अक्षर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	डुमरा	पुरौना पूर्वी एवं पुरौना पश्चिमी	पुरौना	पुरौना पूर्वी का 1, 2, 3, 4, 5 तथा पुरौना पश्चिमी का 4, 5	81.162	एक्कासी लाख सोलह हजार दो सौ रू0 मात्र।
2			बोखड़ा	खड़का बसंत दक्षिणी	खड़का बसंत दक्षिणी	6, 7 एवं 8	34.128	चौंतीस लाख बारह हजार आठ सौ रू0 मात्र।
			कुल				**115.290**	**एक करोड़ पन्द्रह लाख उन्तीस हजार रू0 मात्र।**

3. इस योजना के मुख्य अवयव विद्यमान संरचना में सुधार एवं पाईप लाईन का विस्तार कॉलम–7 में अंकित वार्डों के सभी घरों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0106–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215011020106 – विषय शीर्ष – 0106.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण (II) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (III) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0105– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017960105 – विषय शीर्ष – 0105.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सीतामढ़ी होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी सीतामढ़ी कोषागार से की जायेगी / बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।

15. इस योजना की स्वीकृति विभागीय सचिव द्वारा संचिका के पृ0–07/टि0 पर दी गयी है।

16. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Scmishra 15.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्राक्क01–1187/2018 – 2696 पटना – 15 ,दिनांक :– 15/10/18

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (नागरिक)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव/कार्यपालक अभियन्ता (मो0)/उप निदेशक (मू0)/कार्यपालक अभियन्ता (अने0)/सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण)/प्रशाखा–6ए/कार्यवाह सहायक–6ए/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Scmishra 15.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव